



डॉ. भीमराव अंबेडकर की राष्ट्रवाद की अवधारणा: सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के विशेष संदर्भ में

अरविन्द कुमार यादव¹, डॉ. शैलेश कुमार²

¹शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा।

²शोध निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा।

Email: aky82951@gmail.com, Email: sg7906777@gmail.com

सारांश

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का राष्ट्रवाद संबंधी चिंतन भारतीय सामाजिक संरचना, लोकतंत्र, नागरिकता और सामाजिक न्याय की समस्याओं के गहन विश्लेषण से विकसित हुआ। उनके लिए राष्ट्र केवल एक निश्चित भू-भाग, राजनीतिक सत्ता अथवा भावनात्मक एकता का नाम नहीं था; राष्ट्र की स्थायी आधारभूमि ऐसी सामाजिक व्यवस्था में निहित है जिसमें नागरिकों के बीच समान मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वास्तविक अनुभव हो। प्रस्तुत शोध-लेख का उद्देश्य अंबेडकर की राष्ट्रवाद की अवधारणा का सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के विशेष संदर्भ में विश्लेषण करना है। अध्ययन मुख्यतः ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा अंबेडकर के मूल लेखन, भाषणों और संविधान सभा में दिए गए वक्तव्यों को प्राथमिक स्रोत के रूप में ग्रहण करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अंबेडकर राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र से पृथक् नहीं मानते थे। उनके अनुसार जाति-आधारित श्रेणीबद्ध असमानता, अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्करण ऐसी बाधाएँ हैं जो साझा राष्ट्रीय चेतना तथा लोकतांत्रिक एकता को कमजोर करती हैं। सामाजिक न्याय उनके राष्ट्रवाद को समावेशी आधार प्रदान करता है; समानता नागरिकता को वास्तविक अर्थ देती है; और बंधुत्व विविध समुदायों को साझा सामाजिक जीवन में जोड़ने वाला नैतिक सिद्धांत बनता है। इस प्रकार अंबेडकर का राष्ट्रवाद अधिकार, गरिमा, संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक सहभागिता पर आधारित सामाजिक राष्ट्रवाद के रूप में समझा जा सकता है।

मुख्य शब्द: डॉ. बी. आर. अंबेडकर, राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय, समानता, बंधुत्व, सामाजिक लोकतंत्र, संवैधानिक नैतिकता।

1. प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष के साथ हुआ, किंतु भारत जैसे बहुस्तरीय समाज में राष्ट्र-निर्माण का प्रश्न केवल विदेशी शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं था। जाति, अस्पृश्यता, सामाजिक पदानुक्रम, आर्थिक विषमता, धार्मिक विविधता और प्रतिनिधित्व की समस्याएँ स्वतंत्र भारत के स्वरूप से गहराई से जुड़ी थीं। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इन्हीं अंतर्विरोधों के बीच राष्ट्र, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं पर विचार किया। उनके चिंतन में राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु वह तभी सार्थक हो सकती है जब



सामाजिक जीवन में मनुष्य की गरिमा और समान नागरिकता को स्वीकार किया जाए। इसीलिए उनके राष्ट्रवाद को केवल राज्य-केंद्रित या सांस्कृतिक भावनाओं पर आधारित अवधारणा के रूप में पढ़ना पर्याप्त नहीं है।

अंबेडकर का वैचारिक आग्रह था कि लोकतांत्रिक राज्य की सफलता के लिए समाज का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के आधार के रूप में सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दिया और स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को जीवन के परस्पर संबद्ध सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी इंगित किया कि राजनीतिक क्षेत्र में समान मताधिकार और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में गहरी असमानता का सह-अस्तित्व लोकतंत्र के लिए गंभीर अंतर्विरोध पैदा करता है। इसी कारण उनके राष्ट्रवाद की व्याख्या सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के त्रिकोण के माध्यम से अधिक समग्र रूप से की जा सकती है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

- डॉ. अंबेडकर की राष्ट्रवाद संबंधी अवधारणा के प्रमुख तत्त्वों का विश्लेषण करना।
- अंबेडकर के राष्ट्रवादी चिंतन में सामाजिक न्याय की भूमिका स्पष्ट करना।
- समानता और बंधुत्व को राष्ट्र-निर्माण तथा सामाजिक लोकतंत्र से जोड़कर समझना।
- जाति-व्यवस्था और श्रेणीबद्ध असमानता के संदर्भ में अंबेडकर की राष्ट्रीय एकता संबंधी चिंताओं का अध्ययन करना।
- समकालीन लोकतांत्रिक भारत में अंबेडकर के राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता का विवेचन करना।

3. अंबेडकर की राष्ट्रवाद की अवधारणा

अंबेडकर के चिंतन में राष्ट्र और राष्ट्रवाद का प्रश्न सामाजिक संरचना से पृथक् नहीं है। उनके लिए लोगों का एक भू-भाग में निवास करना अपने-आप में पर्याप्त राष्ट्रीय एकता उत्पन्न नहीं करता। राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में साझा सामाजिक जीवन, परस्पर सम्मान और नागरिकों के बीच ऐसे संबंध आवश्यक हैं जिनमें कोई समुदाय जन्म के आधार पर स्थायी रूप से उच्च या निम्न न माना जाए। इसी दृष्टि से उन्होंने जाति-व्यवस्था की आलोचना केवल सामाजिक सुधार के प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की समस्या के रूप में भी की। जाति व्यक्तियों और समूहों के बीच सामाजिक दूरी को संस्थागत रूप देती है; फलतः सार्वजनिक जीवन में सहयोग, सहभागिता और साझा हित की भावना सीमित होती है।

अंबेडकर के राष्ट्रवाद में राज्य की एकता और समाज की एकता के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। संविधान राजनीतिक संस्थाएँ निर्मित कर सकता है, अधिकार प्रदान कर सकता है और शासन की प्रक्रियाएँ निर्धारित कर सकता है, किंतु नागरिकों के बीच बंधुत्व की भावना केवल विधिक प्रावधानों से पैदा नहीं होती। इसलिए उनके लिए राष्ट्रवाद की स्थिरता सामाजिक लोकतंत्र पर निर्भर करती है। यह दृष्टिकोण राष्ट्र को एक सतत सामाजिक-नैतिक परियोजना के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें संविधान, नागरिक अधिकार और सामाजिक परिवर्तन परस्पर जुड़े हैं।

4. सामाजिक न्याय और अंबेडकर का राष्ट्रवाद

सामाजिक न्याय अंबेडकर के चिंतन का केंद्रीय तत्त्व है। उनके अनुभव और अध्ययन ने उन्हें यह निष्कर्ष दिया कि औपचारिक राजनीतिक अधिकार उन व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं जिन्हें सामाजिक संरचना सार्वजनिक संसाधनों, शिक्षा, प्रतिष्ठा और अवसरों तक समान पहुँच से वंचित करती है। अतः सामाजिक न्याय का अर्थ केवल दया अथवा कल्याणकारी सहायता नहीं, बल्कि उन संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन है जो असमानता और बहिष्करण को पुनरुत्पादित करती हैं। यह दृष्टि समान नागरिकता को राष्ट्रवाद का व्यावहारिक आधार बनाती है।

अंबेडकर ने दलितों और अन्य वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व, शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं में अवसर और नागरिक अधिकारों के प्रश्न को लोकतांत्रिक व्यवस्था की गुणवत्ता से जोड़ा। उनके लिए किसी राष्ट्र की एकता तभी सार्थक है जब उसके कमजोर नागरिक भी स्वयं को समान अधिकार



वाले सदस्य के रूप में अनुभव करें। इस संदर्भ में सामाजिक न्याय राष्ट्रीय एकता का विरोधी नहीं, बल्कि उसकी आधारशिला बनता है। विविधता को दबाने के बजाय न्यायपूर्ण संस्थाएँ विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास उत्पन्न कर सकती हैं।

5. समानता: राजनीतिक अधिकार से सामाजिक जीवन तक

अंबेडकर की समानता की अवधारणा केवल मताधिकार तक सीमित नहीं थी। संविधान सभा में उनके अंतिम भाषण का प्रसिद्ध तर्क था कि भारत राजनीतिक समानता के साथ सामाजिक और आर्थिक असमानता की स्थिति में प्रवेश कर रहा है। इस अंतर्विरोध की ओर संकेत करते हुए उन्होंने लोकतंत्र की स्थिरता के लिए सामाजिक-आर्थिक जीवन में समानता की दिशा में परिवर्तन को आवश्यक माना। उनके अनुसार समानता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति की पूर्ण समानता नहीं, बल्कि जन्म-आधारित विशेषाधिकारों और अपमानजनक असमानताओं का उन्मूलन तथा अवसर, अधिकार और गरिमा के न्यायपूर्ण आधार का निर्माण है।

जाति-व्यवस्था के संबंध में अंबेडकर का 'graded inequality' अर्थात् श्रेणीबद्ध असमानता का विश्लेषण विशेष महत्त्व रखता है। यह ऐसी संरचना है जिसमें समाज केवल दो वर्गों में विभाजित नहीं रहता, बल्कि अनेक स्तरों में क्रमबद्ध होता है। ऐसी व्यवस्था व्यापक सामाजिक एकजुटता को कठिन बनाती है क्योंकि अलग-अलग समूह अपने से ऊपर और नीचे स्थित समूहों के साथ अलग संबंध विकसित करते हैं। इसीलिए समानता अंबेडकर के लिए राष्ट्र-निर्माण की शर्त है: जब व्यक्ति का सामाजिक मूल्य जन्म से निर्धारित न होकर समान नागरिक गरिमा पर आधारित होगा, तभी लोकतांत्रिक राष्ट्र की साझा सदस्यता अधिक वास्तविक हो सकेगी।

6. बंधुत्व: राष्ट्रीय एकता का नैतिक आधार

अंबेडकर के राजनीतिक दर्शन में बंधुत्व को अपेक्षाकृत कम चर्चा मिली है, जबकि उनके राष्ट्रवाद को समझने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। संविधान सभा में उन्होंने बंधुत्व को सभी भारतीयों के साझा भाईचारे की भावना तथा सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता प्रदान करने वाले सिद्धांत के रूप में समझाया। इस अर्थ में बंधुत्व भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सह-अस्तित्व की नैतिक स्थिति है। स्वतंत्रता और समानता को टिकाऊ बनाने के लिए नागरिकों में परस्पर सम्मान और साझा सदस्यता की चेतना आवश्यक है।

बंधुत्व की अवधारणा अंबेडकर के लिए जाति-विरोधी दृष्टिकोण से भी जुड़ी है। जाति सामाजिक संबंधों को पृथक्ता और श्रेणीबद्धता में बाँटती है, जबकि बंधुत्व व्यक्तियों को समान मानव समुदाय का सदस्य मानने की अपेक्षा करता है। इसलिए बंधुत्व राष्ट्रीय एकता को एकरूपता से अलग करता है। लोग भाषा, धर्म, क्षेत्र और सांस्कृतिक परंपराओं में भिन्न होते हुए भी समान नागरिक गरिमा और पारस्परिक उत्तरदायित्व के आधार पर एक राजनीतिक समुदाय का निर्माण कर सकते हैं।

7. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रयी

अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग-अलग सिद्धांतों की सूची नहीं माना। उनका तर्क था कि इन तीनों को अलग करने पर लोकतंत्र का उद्देश्य विफल हो सकता है। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल और विवेक को सीमित कर सकती है; समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों के प्रभुत्व का माध्यम बन सकती है; और बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता तथा समानता सामाजिक व्यवहार का स्वाभाविक हिस्सा नहीं बन पातीं। इस त्रयी से अंबेडकर का राष्ट्रवाद अधिकारों और सामाजिक नैतिकता दोनों को समाहित करता है।

यह त्रयी नागरिकता को भी व्यापक अर्थ देती है। नागरिक केवल राज्य से अधिकार प्राप्त करने वाला कानूनी व्यक्ति नहीं, बल्कि दूसरों की समान गरिमा स्वीकार करने वाला सामाजिक प्राणी है। इस दृष्टि से राष्ट्रवाद का लोकतांत्रिक रूप तभी विकसित होता है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और सामूहिक बंधुत्व एक-दूसरे को संतुलित और सुदृढ़ करें। अंबेडकर की यह स्थापना आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक ढाँचा प्रस्तुत करती है।



8. जाति-व्यवस्था, सामाजिक विभाजन और राष्ट्रीय एकता

Annihilation of Caste में अंबेडकर ने जाति की आलोचना करते हुए सामाजिक संगठन, अंतर्जातीय संबंध और लोकतांत्रिक जीवन पर उसके प्रभावों को रेखांकित किया। उनकी चिंता यह थी कि जाति समाज को छोटे बंद समूहों में विभाजित करती है और व्यापक सामाजिक सहभागिता को बाधित करती है। यदि नागरिक एक-दूसरे को पहले श्रेणीबद्ध जातीय पहचान के आधार पर देखें और समान सामाजिक सदस्यता बाद में आए, तो साझा राष्ट्रीय चेतना का निर्माण कठिन हो जाता है। इसलिए जाति-उन्मूलन उनके लिए केवल एक समुदाय की मुक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि भारतीय समाज के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया है।

अंबेडकर का यह विश्लेषण राष्ट्रवाद के उस रूप की आलोचना करता है जो राजनीतिक एकता की घोषणा तो करता है, किंतु समाज के भीतर मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को गौण मानता है। उनके दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का मार्ग सामाजिक अन्याय पर मौन रहने से नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण सामाजिक संबंध स्थापित करने से निकलता है। इसी कारण उनके राष्ट्रवाद में सामाजिक सुधार और राजनीतिक लोकतंत्र परस्पर पूरक हैं।

9. सामाजिक लोकतंत्र और संवैधानिक राष्ट्रवाद

अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए सामाजिक लोकतंत्र को आवश्यक बताया। सामाजिक लोकतंत्र उनके लिए जीवन-पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सामाजिक संबंधों में स्वीकार किया जाता है। इस विचार का राष्ट्रवाद से सीधा संबंध है, क्योंकि लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थिरता केवल चुनावों और संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती; नागरिकों का संविधान, विधि, अधिकारों और एक-दूसरे की गरिमा के प्रति व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

उनकी संवैधानिक दृष्टि में परिवर्तन के लिए संवैधानिक तरीकों का महत्व, संस्थागत उत्तरदायित्व और व्यक्ति-पूजा के प्रति सावधानी दिखाई देती है। इसे संवैधानिक राष्ट्रवाद की दिशा में पढ़ा जा सकता है, जहाँ राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक स्वतंत्रताओं और न्यायपूर्ण शासन से जुड़ती है। यह व्याख्या अंबेडकर के राष्ट्रवाद को राज्य की शक्ति के विस्तार के बजाय नागरिकों की समान स्वतंत्रता और संस्थागत लोकतंत्र से जोड़ती है।

10. अंबेडकर के राष्ट्रवाद में लोकतांत्रिक नागरिकता

अंबेडकर की दृष्टि में लोकतांत्रिक नागरिकता का आधार समान राजनीतिक अधिकारों के साथ सामाजिक सम्मान है। मतदान का अधिकार नागरिकता का महत्वपूर्ण अंग है, किंतु यदि व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, शिक्षा, रोजगार या सामाजिक संपर्क में अपमान और बहिष्करण का सामना करता है, तो उसकी नागरिकता अधूरी रह जाती है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक अवसरों दोनों को महत्व दिया। राष्ट्र की सदस्यता तभी सार्थक होती है जब नागरिक स्वयं को शासन और सार्वजनिक जीवन का भागीदार समझ सके।

इस दृष्टिकोण में नागरिकता निष्क्रिय निष्ठा नहीं, बल्कि अधिकार, कर्तव्य, सहभागिता और परस्पर सम्मान की प्रक्रिया है। अंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन-प्रणाली से व्यापक सामाजिक जीवन के रूप में देखा। अतः राष्ट्रवाद की लोकतांत्रिक गुणवत्ता का परीक्षण इस बात से भी किया जा सकता है कि समाज अपने सबसे वंचित सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है और संस्थाएँ उनके अधिकारों की कितनी प्रभावी रक्षा करती हैं।

11. समकालीन भारत में प्रासंगिकता

अंबेडकर के राष्ट्रवाद की समकालीन प्रासंगिकता का मूल्यांकन करते समय उनके सिद्धांतों को किसी दलगत राजनीतिक निष्कर्ष में सीमित करने के बजाय लोकतांत्रिक मानदंडों के रूप में देखना अधिक उपयोगी है। भारत की सामाजिक विविधता, आर्थिक विषमताएँ, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध



संवैधानिक प्रतिबद्धता और समान नागरिकता का प्रश्न आज भी सार्वजनिक विमर्श के महत्वपूर्ण विषय हैं। अंबेडकर का चिंतन यह कसौटी प्रदान करता है कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय को परस्पर विरोधी न माना जाए।

उनकी दृष्टि से मजबूत राष्ट्र वह होगा जिसमें संवैधानिक अधिकार केवल औपचारिक घोषणा न रहें, बल्कि नागरिकों के दैनिक जीवन में गरिमा और अवसर के रूप में दिखाई दें। समानता का विस्तार, सामाजिक भेदभाव का निराकरण, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान और विविध समुदायों के बीच बंधुत्व की भावना राष्ट्र की एकजुटता को सामाजिक आधार प्रदान कर सकती है। इस अर्थ में अंबेडकर का विचार राष्ट्रवाद को बहिष्कार के बजाय समावेशन तथा प्रभुत्व के बजाय समान नागरिकता से जोड़ने का वैचारिक आधार उपलब्ध कराता है।

12. विमर्श

अंबेडकर के राष्ट्रवाद की विशिष्टता इस बात में है कि वह राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को सामाजिक न्याय की कसौटी पर रखता है। औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति राजनीतिक स्वाधीनता का आवश्यक चरण था, किंतु अंबेडकर की दृष्टि में आंतरिक सामाजिक प्रभुत्व का अंत भी स्वतंत्रता की परियोजना का हिस्सा है। इसीलिए उनके लेखन में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और जाति-विरोधी संघर्ष अलग-अलग विषय नहीं रह जाते। वे एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की खोज में परस्पर जुड़ते हैं जिसमें व्यक्ति की पहचान उसकी नागरिक गरिमा को कम न करे।

समानता और बंधुत्व के बीच उनका संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। केवल कानून द्वारा समानता घोषित कर देने से सामाजिक दूरी स्वतः समाप्त नहीं होती; वहीं केवल भावनात्मक भाईचारा संरचनात्मक अन्याय का विकल्प नहीं हो सकता। अंबेडकर का ढाँचा दोनों को जोड़ता है: न्यायपूर्ण संस्थाएँ समानता को संरक्षित करती हैं और बंधुत्व उन संस्थागत मूल्यों को सामाजिक व्यवहार में आधार देता है। राष्ट्रवाद का यह रूप अधिकार और नैतिक उत्तरदायित्व दोनों की माँग करता है।

13. निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अंबेडकर की राष्ट्रवाद की अवधारणा को उनके व्यापक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन से अलग करके नहीं समझा जा सकता। उनके लिए राष्ट्र की स्थिरता केवल भौगोलिक सीमा, साझा शासन या राजनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित नहीं थी; उसका सामाजिक आधार समान नागरिकता, न्यायपूर्ण संबंध और बंधुत्व की भावना में निहित था। जाति-व्यवस्था और श्रेणीबद्ध असमानता की उनकी आलोचना इसीलिए राष्ट्र-निर्माण के विमर्श से जुड़ी है, क्योंकि सामाजिक विभाजन लोकतांत्रिक समुदाय की साझा सदस्यता को कमजोर करता है।

सामाजिक न्याय अंबेडकर के राष्ट्रवाद को समावेशी दिशा देता है, समानता नागरिकता को वास्तविक आधार प्रदान करती है और बंधुत्व विविध समाज को नैतिक एकता में जोड़ता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रयी उनके सामाजिक लोकतंत्र की केंद्रीय संरचना है। इस दृष्टिकोण से अंबेडकर का राष्ट्रवाद न तो केवल भावनात्मक राष्ट्रीयता है और न केवल राज्य-केंद्रित राजनीतिक अवधारणा; यह संवैधानिक मूल्यों, मानव गरिमा, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक सहभागिता पर आधारित राष्ट्र-निर्माण की परियोजना है। समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता इसी तथ्य में है कि राजनीतिक लोकतंत्र की दीर्घकालिक सफलता सामाजिक लोकतंत्र के विस्तार से जुड़ी रहती है।

संदर्भ सूची (APA शैली)

- अंबेडकर, बी. आर. (1936/2014). जाति का विनाश (*Annihilation of caste*). डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: लेखन और भाषण (वॉल्यूम 1) में। महाराष्ट्र सरकार।
- अंबेडकर, बी. आर. (1945/2014). कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया है (*What Congress and Gandhi have done to the Untouchables*). डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: लेखन और भाषण (वॉल्यूम 9) में। महाराष्ट्र सरकार।



- अंबेडकर, बी. आर. (1946/2014). पाकिस्तान या भारत का विभाजन (**Pakistan or the partition of India**). डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: लेखन और भाषण (वॉल्यूम 8) में। महाराष्ट्र सरकार।
- अंबेडकर, बी. आर. (1947/2014). राज्य और अल्पसंख्यक (**States and minorities**). डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: लेखन और भाषण (वॉल्यूम 1) में। महाराष्ट्र सरकार।
- अंबेडकर, बी. आर. (1949). संविधान सभा में भाषण, 25 नवंबर 1949. संविधान सभा की बहस, वॉल्यूम XI.
- अंबेडकर, बी. आर. (2014). डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: लेखन और भाषण (कई वॉल्यूम)। महाराष्ट्र सरकार।
- जाफरेलॉट, सी. (2005). डॉ. अंबेडकर और अस्पृश्यता: जाति का विश्लेषण और उससे संघर्ष (**Dr Ambedkar and untouchability: Analysing and fighting caste**). परमानेंट ब्लैक।
- कीर, डी. (1954). डॉ. अंबेडकर: जीवन और मिशन (**Dr. Ambedkar: Life and mission**). पॉपुलर प्रकाशन।
- ओमवेड्ट, जी. (2004). अंबेडकर: एक प्रबुद्ध भारत की ओर (**Ambedkar: Towards an enlightened India**). पेंगुइन बुक्स इंडिया।
- रोड्रिग्स, वी. (संपादक). (2002). बी. आर. अंबेडकर के महत्वपूर्ण लेखन (**The essential writings of B. R. Ambedkar**). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- जेलियट, ई. (1992). अछूत से दलित तक: अंबेडकर आंदोलन पर निबंध (**From untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar movement**). मनोहर।

Cite this Article:

यादव, अरविन्द कुमार, कुमार, डॉ. शैलेश. (2026). डॉ. भीमराव अंबेडकर की राष्ट्रवाद की अवधारणा: सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के विशेष संदर्भ में. The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp.360–365, Volume-04, Issue-04, January-2026, <https://theresearchdialogue.com/>



This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.



CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

अरविन्द कुमार यादव¹, डॉ. शैलेश कुमार²

For publication of Research Paper title

डॉ. भीमराव अंबेडकर की राष्ट्रवाद की अवधारणा: सामाजिक न्याय, समानता
और बंधुत्व के विशेष संदर्भ में

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-04, Month January, Year-2026, Impact
Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief



Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper
must be available online at: <https://theresearchdialogue.com/>